10रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

मानीय न्यायालय मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल केन्द्र ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक – /2018 निगरानी–5056/2018/नीमच/भू.रा.

राजमल पिता श्यामलाल जी ब्राह्मण, आयु 43 वर्ष, निवासी ग्राम घसुण्डी बामनी, तहसील व जिला नीमच म.प्र. —— आवेदक

विरूद्ध

छगनलाल पिता श्री लालजी ब्राह्मण, आयु 65 वर्ष, निवासी ग्राम घसुण्डी बामनी, तहसील व जिला नीमच म.प्र. —— अनावेदक

पुनरीक्षण प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं

माननीय महोदय,

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नीमच जिला नीमच के प्रकरण क्रमांक 68/अ–12/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 24–06–2017 से असंतुष्ट एवं दुखित होकर धारा 5 अवधि विधान के आवेदन में लिखे गये कारणों के आधार पर पुनरीक्षण आवेदन पत्र अंदर अवधि माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करता है।

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विधान एवं रेकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

2. यह कि, विधि का सर्वमान्य सिद्धांत है कि जब भी कोई सीमांकन की कार्यवाही की जाती है तो आसपास के समस्त भूमिस्वामियों को सूचना देना आवश्यक होता है उक्त प्रकरण में इन नियमों का पालन नहीं किया गया इस कारण भी उक्त सीमांकन प्रथम दृष्टयां ही निरस्ती योग्य है।

3. यह कि अनावेदक ने जो सीमांकन करवाया उसमें न तो आवश्यक पक्षकारों को अर्थात आसपास के भूमिस्वामियों को पक्षकार नहीं बनाया इस कारण भी अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

4. यह कि अधीनस्थ न्यायालय का जो सीमांकन कार्यवाही की वह धारा 129 म.प्र.भू.रा.अ. के प्रावधानों के विपरीत की है जबकि उक्त धारा के तहत यह आवश्यक प्रावधान है कि जिस भूमि का सीमांकन किया जाना है उक्त भूमि के आसपास के सभी कृषकों को सूचना दी जाना आवश्यक है। इस आवश्यक प्रावधान का पालन किये बगैर जो सीमांकन किया है वह निरस्त किये जाने योग्य है।

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-5056/2018/नीमच/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26.10.2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री ए.आर. यादव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 3-1-19 को कलेक्टर, जिला नीमच के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	